–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 134/2025

उनवान

दुल्ला पुत्र मेवा जाति चीता निवासी ग्राम राजौसी, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

राज. सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— अप्रार्थीगण :– जरियें राज. पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 7.10.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजौसी के खाता संख्या 156/153 किता 37 रकबा 7.95, 190/97 किता 9 रकबा 0.91 व खसरा नम्बर 1562 रकबा 0.02 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम सहवन से दूला व दल्ला अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थी का सही नाम दुल्ला है। राजस्व अभिलेख में उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रार्थी को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः अराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का सही नाम दुल्ला अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश क रनाम दुरूसती की अभिशंषा की।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख व पहचान के दस्तावेज पेश किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम राजौसी के खाता संख्या 156/153 किता 37 रकबा 7.95, 190/97 किता 9 रकबा 0.91 व खसरा नम्बर 1562 रकबा 0.02 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है। खाता संख्या 156/153 में प्रार्थी का नाम दल्ला पुत्र मेवा, खाता संख्या 190/97 व खसरा नम्बर 1562 में में प्रार्थी का नाम दूला पुत्र मेवा अंकित है। उक्त आराजी में प्रार्थी का नाम जरियें विरासत दर्ज हुआ है। प्रार्थी का सही वास्तविक नाम दुल्ला पुत्र मेवा है। आधार कार्ड, जनआधर कार्ड से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। राज. पैरोकार ने भी प्रार्थी का नाम दुरूसत करने की अभिशंषा की है। उक्त त्रुटि सदभाविक है जिसे दुरूस्त करने से राजहित प्रभावित नही होता साथ ही अन्य सह खातेदार के हित भी प्रभावित नही होते है।

उक्तानुसार राजौसी के खाता संख्या 156/153 किता 37 रक[illegible]0/97 किता 9 रकबा 0.91 व खसरा नम्बर 1562 रकबा 0.02 की [illegible] प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी [illegible] पुत्र मेवा अंकित करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 17:13:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद